न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2018-00147RAAJodhpur2018-48RTA225 Dungarram ors Vs Mangilal etc

01. डूंगरराम पुत्र श्री शेराराम
02. कुम्भाराम पुत्र श्री शेराराम
03. देदाराम पुत्र श्री साजनराम
04. नरसिंगाराम पुत्र श्री साजनराम
05. श्रीमती रामूदेवी पत्नी साजनराम
06. कुशालाराम पुत्र भंवराराम
07. जितेन्द्र पुत्र भंवराराम
08. श्रीमती पप्पूड़ी पत्नी भंवराराम
    अपीलांट संख्या छः व सात नाबालिग जरिये कुदरती वलिया श्रीमती पपूड़ी पत्नी भंवराराम
09. लाबूराम पुत्र शेराराम
10. गोपाराम पुत्र शेराराम
    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम बेरड़ो का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. मांगीलाल पुत्र जीयाराम,
02. गिरधारीलाल पुत्र बस्ताराम,
    दोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम बेरड़ो का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
03. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 दिसंबर 2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2017 डूंगरराम बनाम मांगीलाल इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

नि र्ण य

दिनांक : 14 जुलाई 2023

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2017 अनवान डूंगरराम व अन्य बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 दिसंबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 26 मार्च 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 283 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 282 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 319 रकबा 05 बिस्वा वाके मौजा बेरड़ो का बास तहसील ओसियां के संबंध में खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ कि उपरोक्त खसरान् का सीमाज्ञान करवाकर विवाद का स्थाई निस्तारण किया जावे को दरकिनार कर गैर मुमकिन रास्ते पर सड़क निर्माण किये जाने के आदेशों के साथ निस्तारित कर कर दिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद सीमा को लेकर है, इसलिए अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमा ज्ञान करवाने एवं वादग्रस्त आराजीयात की पैमाईश उपखण्ड अधिकारी से करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि कटाणी रास्ता अपीलांट्स की खातेदारी की कृषि भूमि में सें चलता है, इस कारण प्रत्यर्थीगण कटाणी रास्ता को रोकते हुए सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अपीलांट्स ने नाप चौक भू-प्रबंधक अधिकारी से करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पर निस्तारण किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स ने आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पर ही बहस की, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के पूरे प्रकरण का ही अंतिम निस्तारण कर दिया। अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कटाणी रास्ता भौतिक रूप से मौके पर चले रहे रास्ते में काफी अंतर है। इस विवाद का निस्तारण केवल भू-प्रबंध अधिकारियों की टीम गठित करके ही सुलझाया जा सकता है। इस कारण अपीलांट्स की ओर से सेटलमेंट विभाग की टीम गठित कर नाप चौक करवाने का निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स दिनांक 20.03.2018 को वादग्रस्त आराजीयात पर कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु कणामाठ पर बाड़ कर रहे थे तो कुछ व्यक्ति मौके पर आकर जबरदस्ती सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अपीलांट्स ने सड़क निर्माण कार्य करने पर एतराज किया तो उन व्यक्तियों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति बताई और स्थगन आदेश खारिज होने का जिक्र किया, जिस पर अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय से दिनांक 21.03.2018 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने से आदेश की स्पष्ट जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील पेश की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 दिसंबर 2017 को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे अपीलांट्स के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे एवं न किसी अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात का विधि अनुसार पैमाईश करवाये बिना किसी प्रकार की सड़क निर्माण कार्य न तो स्वयं करे एवं न किसी अन्य से करावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 07.01.2016 के मुताबिक भू-अभिलेख निरीक्षक चेराई द्वारा पटवारी हल्का बेरड़ो का बास के साथ वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार एवं सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. औसियां के साथ सीमाज्ञान किया गया, किंतु सीमाज्ञान के साथ नजरी नक्शा तैयार कर यह स्पष्ट नहीं किया कि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 316 गैर मुमकिन रास्ते की अवस्थिति कहा पर है। अपीलांट्स द्वारा सीमाज्ञान पर आपत्तियों का प्रार्थना पत्र पेश कये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का विधिनुसार निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 दिसंबर 2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह नायब तहसीलदार औसियां के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में गैर मुमकिन रास्ते की अवस्थिति बाबत मौका जांच करावे तथा रास्ते की मय नजरी नक्शा वस्तुस्थिति अभिलेख पर ली जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर